कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (मप्र)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक / डीटीपीसी. / /2017 / 29 शिवपुरी, दिनांक :- 28/2/17

// निविदा सूचना //

एतद द्वारा समस्त कैफेटेरिया एवं होटल व्यवसायियों तथा अन्य इच्छुक योग्य व्यक्तियो को सूचित किया जाता हैकि जिला पर्यटन संबर्धन परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड छत्री रोड़ शिवपुरी पर निर्माणाधीन कैफेटेरिया का 05 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यवसायियों से दिनांक 10/03/2017 17/03/2017 दोपहर 2:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 15/03/2017 16/03/2017 तक कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में (जो अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी)। प्राप्त निविदायें दिनांक 16/03/2017 17/03/2017 को उपस्थित व्यवसायियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष 3:00 बजे खोली जावेगी।

क्र	कार्य का नाम	अनु. लागत	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	निविदा मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	**भदैया कुण्ड शिवपुरी स्थित निर्माणाधीन कैफेटेरिया का 05 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन**	-	300000/-	2000/-	15 दिवस

आवश्यक शर्ते -:

1. केफेटेरिया संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 3.00 लाख रूपये डीटीपीसी के नाम जमा करना होगी जो 5 वर्ष 6 माह बाद व्याज रहित वापिस किये जाएँगे ।
2. किराये की राशि त्रैमासिक जमा की जाना होगी । त्रेमास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा यदि किराये की राशि में प्रतिवर्ष 5प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी । नियत अवधिमें किराया जमा ना करने की दशा में, बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत ब्याज देय होगा । विलम्ब 90 दिवस से अधिक होने पर सात दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कियाजा सकेगा ।
3. रेस्टोरेंट तथा खुला मैदान 2500 वर्गफीट जिसका उपयोग किया जावेगा मरम्मत की राशि स्वयं वहन करना होगी। रेस्टोरेंट तथा संलग्न खुले मैदान के वाहर पार्टी आयोजन के लिये डीटीपीसी के द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी जिसका क्षेत्र व शुल्क डीटीपीसी द्वारा तय किया जावेगा ।
4. विघुत व्यय स्वंय वहन करना होगा । रेस्टोरेंट के साथ संलग्न मैदान पर भी शोभायमान लाइटिंग करनी होगी ।

28/2/17

5. केफेटेरिया में मात्र शाकाहारी फास्ट फुड प्रदान किया जाएगा । खाने का स्तर 3 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का रखना होगा । मॉसाहार तथा मदिरा आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

7. सुरक्षा के लिये प्रायवेट सिक्योरिटी में 2 बर्दीधारी गार्ड रखना होंगे, चारो ओर सीसी टीव्ही केमरे स्थापित करना होंगे ।

8. सम्पूर्ण एरिया पोलीथिन फ्री रखना होगा ,खान पान पार्सल व्यवस्था हेतु पोलिथिन फ्री संसाधनों का उपयोग करना होगा ।

9. रेस्टोरेंट का स्टाफ ट्रेंड होगा , वर्दी में रहेगा , सेफ एवं वेटर ग्लव्स का उपयोग करेंगे तथा सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा । किसी भी प्रकार की अनियमितता या ग्राहकों से दुर्वयवहार की शिकायत प्राप्त होने पर डीटीपीसी कभी भी किसी भी कार्मचारी को पृथक करने का आदेश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा ।

10. सामग्री विक्रय की रसीद संधारित की जावेगी सभी टेक्स अदा करने होंगे, कैश लेश ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी ।

11. साफ सफाई नियम अनुसार कराना होगी कचरे के निपटान के लिये नगर पालिका शिवपुरी द्वारा चिन्हित स्थान पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी ।

12. केफेटेरिया व उससे संलग्न मैदान को छोडकर भदैयाकुण्ड के शेष खुले स्थानों पर डीटीपीसी द्वारा स्मार्ट गुमटी एवं फेरी वाले विक्रेताओं को अनुमति दी जावेगी जिसके संबंध में आपत्ति करने का अधिकार निविदादाता का नहीं होगा ।

13. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएँगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा ।

28/2/17

अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी